

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर

छात्र परिषद निर्वाचन 2016

मतदाताओं के लिए निर्देश

1. मतदान स्थल पर किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन या रखना वर्जित है . ऐसा करने वालों के ऊपर पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी.
2. मतदाता अपनी अपनी अध्ययनशाला के अधिष्ठाता (Dean) द्वारा निर्धारित एवं अधिसूचित स्थल पर ही मतदान करेंगे.
3. मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं को ही मत देने का अधिकार होगा.
4. मतदान हेतु आने वाले सभी मतदाता पंक्तिबद्ध होकर निर्धारित स्थान पर शांतिपूर्वक मतदान करेंगे
5. मतपत्र प्राप्त करने के पहले मतदाता, मतदाता सूची में हस्ताक्षर करेंगे.
6. मतदाता अपना मत मतदान हेतु निर्धारित पेटी में ही डालेंगे.
7. मतपत्र को मतदान पेटी में डालने के पश्चात ही मतदाता को मतदान स्थल छोड़ने की अनुमति होगी.
8. जो छात्र चुनाव में प्रत्याशी की हैसियत से भाग ले रहे हैं वे किसी भी प्रकार से मतदान स्थल के १०० मीटर के अन्दर पर प्रचार प्रसार नहीं करेंगे एवं पूर्णतः मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित अनुशासन में रहेंगे. अन्यथा छात्र परिषद विनियम २०११ (संशोधित) के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी.
9. निर्धारित समय के बाद आने वाले मतदाताओं को मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी .
10. मतदान हेतु निर्धारित तिथि Friday दिनांक 02-12-2016 एवं समय 0800-1300 बजे तक रहेगा.
11. मतदान हेतु मतदान अधिकारी क्रमांक एक द्वारा मतदाता की पहचान को सुनिश्चित किया जायेगा. इस हेतु विश्वविद्यालय कुलानुशासक द्वारा जारी वैध पहचान पत्र, पुस्तकालय कार्ड , या सम्बंधित विभाग प्रमुख द्वारा इस हेतु जारी किया गया अस्थायी पहचान पत्र मान्य होगा. इसके अभाव में मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी
12. मतदाता छात्र की पहचान पर किसी प्रकार की आपत्ति होने पर सम्बंधित विभाग प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा जिसकी सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दी जायेगी.

13. निम्न स्थितियों में कोई मतपत्र अवैध घोषित किया जा सकेगा :

13.1 जिस अध्ययनशाला के प्रतिनिधि के लिए मतपत्र जारी किया गया है उस अध्ययनशाला के निर्धारित प्रतिनिधियों की संख्या से अधिक की संख्या में मत अंकित करने पर . उदाहरण के लिए किसी अध्ययनशाला में यदि एक प्रतिनिधि चुना जाना है तो यदि मतपत्र पर दो या अधिक प्रतिनिधियों के नाम के सामने ✓ अंकित कर दिया गया है तो वह मतपत्र अवैध हो जायेगा.

13.2 मतपत्र में निर्धारित बॉक्स के अंदर स्पष्ट रूप से अंकित किया गया ✓ का निशान ही मान्य होगा .अन्य किसी प्रकार का निशान अंकित करने पर या दो बॉक्स के बीच में अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का निशान मतपत्र को अवैध कर देगा .

13.3 मतदान की गोपनीयता बनाये रखना अनियार्य है .मतपत्र को किसी को दिखाना या अन्य किसी प्रकार से उसकी गोपनीयता भंग करना चुनाव आचार संहिता के विपरीत माना जायेगा.

13.4 मतपत्र पर किसी भी प्रकार का कोई नारा ,शब्द , या पहचान चिन्ह लिखना / लगाना चुनाव आचार संहिता के विपरीत माना जायेगा एवं मतपत्र अवैध घोषित कर दिया जायेगा.

13.5 मतपत्र को किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त करना या उसे फाड़ने की कोशिश करने पर उस मतपत्र को अवैध घोषित किया जायेगा एवं ऐसा करने वाले पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी.

13.6 मतपत्र किसी भी स्थिति में दुबारा जारी नहीं किया जायेगा .

13.7 'नोटा' –'उपरोक्त में से कोई नहीं ' विकल्प भी मतपत्रों पर अंकित है। इससे संबंधित निर्देश पृथक से संलग्न है। तदनुसार कार्यवाही की जाएगी

.14 उपर्युक्त के साथ साथ वे सभी प्रावधान नियम दिशानिर्देश भी प्रभावशील होंगे जिनका वर्णन छात्र परिषद विनियम २०११(संशोधित) की विभिन्न कंडिकाओं में किया गया है .कृपया उनका पालन किया जाये.